

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी-

परशुराम धानका  
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

24/2015/प्रा.पत्र/2015

तारीख दायरा

23.03.2015

तारीख निर्णय

16.05.2022

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

श्री पवन कुमार टोंगिया पुत्र श्री ताराचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स निखिल एन्टरप्राइजेज बडा  
बाजार निवाई टोंक निवासी वार्ड नं. 5 बडा बाजार निवाई जिला टोंक

..... अप्रार्थी

अभियुक्त जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार उपस्थित।

2-अभिभाषक अप्रार्थी श्री तेजमल जैन एवं अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

:-निर्णय:-

दिनांक 16.05.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.05.2013 को समय 03:02 पी.एम. पर मैसर्स निखिल एन्टरप्राइजेज बडा बाजार निवाई टोंक पर पहुंचा। वहाँ श्री पवन कुमार टोंगिया पुत्र श्री ताराचन्द जैन अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का विक्रय करते हुए मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री पवन कुमार टोंगिया ने स्वयं को मैसर्स निखिल एन्टरप्राइजेज बडा बाजार निवाई टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र नहीं होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में अलग-अलग कागज के गत्ते के 8-9 कार्टूनों में खाद्य पदार्थ गुड़ रखा हुआ था, जिसे देखने पर मिलावट की शंका होने पर श्री पवन कुमार टोंगिया को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री पवन कुमार टोंगिया व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह गुड़ वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्य किए जा रहे हैं, कुल 1 किलोग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।



1743

  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

आवेदक ने खरीदशुदा गुड़ 1 किलोग्राम को बराबर-बराबर 250-250 ग्राम के नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को साफ एवं सूखे चौकोर प्लास्टिक डिब्बों में भरकर प्रत्येक प्लास्टिक डिब्बे के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाइट बन्द कर चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-518 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता श्री पवन कुमार टोंगिया तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई-518 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./13/2405 दिनांक 10.07.2013 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/258/एफएसएसए/2012/659 दिनांक 28.05.2013 के अनुसार विक्रेता श्री पवन कुमार टोंगिया से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्य किया गया गुड़ एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(ZX) का उल्लंघन करने के कारण अवमानक (Sub-standard) स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थी अवमानक (Sub-standard) स्तर का गुड़ का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी एवं स्वयं अप्रार्थी उपस्थित हुए एवं जुर्म स्वीकार किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस गुड़ का विक्रय कर रहे थे वह जांच में स्तर अवमानक (Sub-standard) का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया गुड़ नमूना जांच में अवमानक (Sub-standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः




  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पवन कुमार टोंगिया पुत्र श्री ताराचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स निखिल एन्टरप्राइजेज बडा बाजार निवाई टोंक निवासी वार्ड नं. 5 बडा बाजार निवाई जिला टोंक पर शास्ति रूपये 30,000 (अक्षरे तीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 16.05.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



  
(प्रशासक धीनक)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0